

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ
पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर

दर्ज दिनांक

निर्णय दिनांक

42 / 2023

27.10.2023

21.01.2025

वादी

बनाम

अप्रार्थीगण

नखताराम

गजाराम बगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानसिंह उपस्थित।

प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई

प्रतिवादी सख्या 4 की ओर से राज पेरोकार उपस्थित।

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण में दिनांक 19.07.2024 को प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित कर तहसीलदार शेरगढ को प्रस्तावित बटवाडा रिपोर्ट बाबत लिखा गया। तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 06.12.2024 को प्रस्तावित बटवाडा रिपोर्ट पेश की गई। प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्राप्त प्रस्तावित बटवाडा अनुसार खातेदारों के मध्य बटवाडा निम्नानुसार जारी किया जाता है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर में	किरम	लगान
1	नखताराम पि. खुशालाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	4/4	0.0243	बा।।	
2	गजाराम पि. खुशालाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	4/4	0.0080	बा।।	
3	बिजाराम पि. कुम्भाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	4/4	0.0243	बा।।	
4	राणाराम पि. बिजाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	4/4 4/4	0.0320 0.0570	बा।। बा।।	
5	गजरो पत्नी गोरधनराम जाति मेगवाल सा. बहादुरसर जैतसर सेतरावा	4/4	0.0163	बा।।	

प्रस्तुत प्रस्तावित बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। प्रस्तावित बटवाडा रिपोर्ट अंतिम डिक्री का अंग सुमार किया जाता है।


(विकास शर्मा)

सहायक कलेक्टर शेरगढ एस
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ
पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर

दर्ज दिनांक

निर्णय दिनांक

42 / 2023

27.10.2023

वादी

बनाम

अप्रार्थीगण

नखताराम

गजाराम पिसन

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानसिंह उपस्थित।

प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई

प्रतिवादी सख्या 4 की ओर से राज परोकार उपस्थित ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण में दिनांक 19.07.2024 को प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित कर तहसीलदार शेरगढ को प्रस्तावित बटवाडा रिपोर्ट बाबत लिखा गया । तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 06.12.2024 को प्रस्तावित बटवाडा रिपोर्ट पेश की गई । प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई । प्राप्त प्रस्तावित बटवाडा अनुसार खातेदारों के मध्य बटवाडा विभाजन जारी किया जाता है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर में	किस्म	लगान
1	नखताराम पि. खुशालाराम जाति मेगवाल सा.देह खातेदार	4/4	0.0243	वा II	
2	गजाराम पि. खुशालाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	4/4	0.0080	वा II	
3	बिजाराम पि. कुम्भाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	4/4	0.0243	वा II	
4	राणाराम पि. बिजाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	4/4	0.0320	वा II	
		4/4	0.0570	बा II	
5	गजरो पत्नी गोरधनराम जाति मेगवाल सा. बहादुरसर जैतसर सेतरावा	4/4	0.0163	वा II	

प्रस्तुत प्रस्तावित बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है । प्रस्तावित बटवाडा रिपोर्ट अंतिम डिक्री का अंग सुमार किया जाता है ।

(विकास शर्मा)

सहायक कलेक्टर शेरगढ
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी शेरगढ